

**फर्द अहकाम**

सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर प्रभाग

बनाम  
श्री. अली खान

संख्या ७७७७/२०२५

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से  | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|-------------|
| ३१/०८/२५                  | <p>पनापली (श्री. अली) पकील शर्मा उपस्थित कोर्टो रिपण्ड डिग्री २३/०१/२०२५ के अनुसार शर्मा को कोर्टो रिपण्ड पर काम के लिए एडिस्ट्रिक्ट नदी पकील जानी थी। फलतः लगभग ०६ माह से काम समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शर्मा पकील इत्य कोर्टो रिपण्ड के काम के लिए एडिस्ट्रिक्ट नदी पकील नही की गयी।</p> <p>कमर व्यापार्य कोर्टो रिपण्ड के अपेक्षागत करने पर भी महपात्रादी कि व्यापार्य कोर्टो रिपण्ड डिग्री ०३/०९/२०२५ में विशेषी पत्रकार को सूचना दिए बिना, अंतरिम निर्देश जारी किया गया था। अतिरिक्त ३९ बिपण्ड-३८२८ में मह mandatory provision है कि ऐसे निर्देश के पुरना पश्चात् जारी शर्मा एडिस्ट्रिक्ट डक द्वारा विशेषी पत्रकारों को काम की जारी करवाएगा।</p> <p>अतः इसके जारी शर्मा एडिस्ट्रिक्ट नदी डक द्वारा कोर्टो रिपण्ड २३/०१/२५</p> |             |


सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर प्रभाग

# फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर  
नाम न्यायपालिका  
बनारस शहर प्रखण्ड

बनाम  
अश्विनी कर्मा शर्मा कलक्टर बनारस

केस संख्या - 1/50/24

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से   |
|-------------|---------------------------|--|
|             | 8/5/24                    | <p>आज्ञा: प्राथमिक प्राथमिक फर्द अहकाम<br/>         09 दिनांक 02 अप्रैल के तहत जोषणीय<br/>         नहीं होने से खारिज किया जाएगा।</p> <p>फर्दवाली दफ्तर के अहकाम<br/>         केवल शुभारंभ के लिए दफ्तर है।</p> <p>अहकाम आज्ञा 08/5/24 को<br/>         कुल व्यापक में दुबारा गया।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>सहायक कलक्टर</b><br/> <b>बनारस शहर प्रखण्ड</b> </p> |